(58)

माननीय राजस्व मण्डल (म0प्र0) ग्वालियर

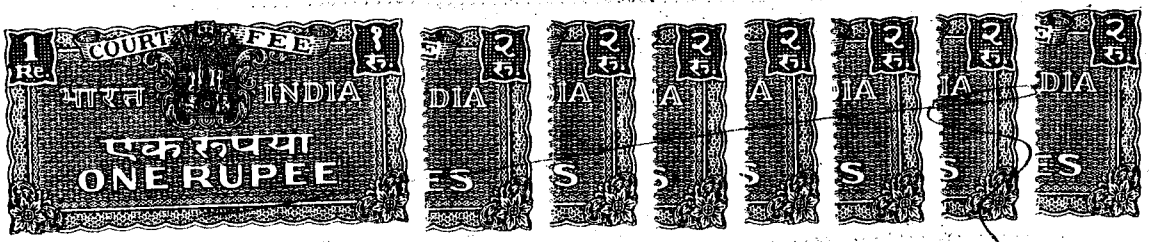

बैजनाथ पटेल मृतक द्वारा वारिशान-

1- पीताम्बर प्रसाद पटेल उम्र 63 वर्ष, } दोनो के पिता बैजनाथ पटेल सा0 भलुआ तह0 मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

2- नन्दलाल पटेल उम्र 56 वर्ष, }

3- इन्द्रबसुआ विधवा पत्नी शिवराम पटेल निवासी ग्राम ढनगन तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

4- सनत कुमार पिता सत्यशरण पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खैरा कनकेशरा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

सरजो मृतक द्वारा वारिशान-

5- रामसिया पटेल उम्र 65 वर्ष } पिता सरजो

6- भैयालाल पटेल उम्र 56 वर्ष, }

7- हरि प्रसाद पिता जनकी उम्र 40 वर्ष तीनो निवासी ग्राम भलुआ थाना नईगढी तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

8- श्रीमती सुगनी पत्नी रामखेलावन ग्राम ढनगन तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 .... आवेदक गण

बनाम

1- शोभनाथ तनय अयोध्या प्रसाद कुर्मी

2- बद्री प्रसाद तनय रामदुलारे नि: संतान मृतक विलोपित

3- शोभनाथ तनय रामदुलारे कुर्मी0 सा0 भलुआ

4- राजमणि पिता गजाधर कुर्मी0

5- सीताराम तनय गजाधर कुर्मी0

6- श्रीमती कराम पत्नी सीताराम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1670–चार/2008 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–3–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 161/अपील/85–86 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क मुख्य रूप से तर्क दिया है कि आवेदक बैजनाथ पटेल और एवं सरजू ने विचारण न्यायालय के समक्ष व्यहवार न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर आवेदकगण के पिता बैजनाथ व सरजू के नाम आदेश दिनांक 4–5–84 को नामांतरण आदेश पारित हुआ। जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 25–9–85 को निरस्त की गई। अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की गई जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–10–08 को अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी आधार लिया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा समय–सीमा पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में	

गुण–दोषों के आधार पर द्वितीय अपील में निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

3/ अनावेदक अभिभाषक ने लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदकगण के पिता बैजनाथ एवं सरजू ने अनावेदिका नोहरी के वारिसों शोभनाथ व छोटेलाल को उनकी भूमि से संधित विवाद होने के कारण हाल में पक्षकार बनाया है। नोहीद के वसीयतनामा के आधार पर छोटेलाल व शोभनाथ के नाम 6 किता भूमियों का नामान्तरण हो गया था। यह भी तर्क दिया कि नोहरी ने आवेदक सरजू व बैजनाथ के विरूद्ध दावा किया था जिसमें अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया। उक्त व्यवहारवाद राजीनामा के आधार पारित आदेश अनावेदक के विरूद्ध नहीं माना जा सकता। दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर सरजू एवं बैजनाथ को कोई हक प्राप्त नहीं हुआ। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त ने प्रकरण को गुण–दोष पर निराकरण करने के बाद प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त के आदेश से जो भी वारिसान बैजनाथ व सरजू के हैं उन्हें तहसील न्यायालय में पूर्ण सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक के आवेदन पर नामांतरण आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि

व्यवहार न्यायालय से आवेदकगण के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया है जबकि विचारण न्यायालय ने आवेदकगण के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किये हैं और प्रकरण विचारण न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोषों पर आदेश पारित करें। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती हैं। जहां तक आवेदक अभिभाषक उठाये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्तियो के विरूद्ध आदेश पारित किया है, उचित नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण एवं उनके अभिभाषक लगातार उपस्थित होते रहे। उनके द्वारा पक्षकारों की मृत्यु की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण में यह आधार नहीं लिया जा सकता कि आधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया है। चूंकि यह प्रकरण भूमि के नामांतरण से संबंधित है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित किया है और प्रत्यावर्तित प्रकरण में सभी वारिसों को रिकार्ड पर लिया जाकर उभय पक्ष की सुनवाई की जायेगी। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रकरण में यह आधार नहीं लिया जा सकता कि आधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश होने से निरस्त किया जा जाये। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त का आदेश कोई अंतिम आदेश नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त ने प्रकरण को विचारण न्यायालय उभय पक्षों को विधिवत सुनवाई का

अवसर देकर गुण—दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30—10—08 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0ऐस0 अली)
सदस्य